न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.169/प्रा.पत्र/2017 (GCMS No. 2017/00435)	18.12.2017	18.06.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

किशनलाल उर्फ किशनगोपाल पुत्र छोटूलाल जाति माली,
निवासी ग्राम उलेड़ा, तहसील बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री शिव तोषनीवाल, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम उलेड़ा आवंटन आदेश दिनांक 30.09.1986 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार अप्रार्थी किशन गोपाल वल्द छोटूलाल कौम माली उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 169/2017 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2017/00435 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 09.04.2019 को जवाब पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थी द्वारा आवंटन काफी पुराना होना एवं कब्जे काश्त चला आ रहा होना अंकित करते हुये कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा भूमि आवंटी किशन गोपाल आ. छोटूलाल जाति माली निवासी ग्राम उलेडा को दिनांक 30.09.1986 को आवंटन हुई थी, आवंटी वर्तमान में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर छीतर पिता मडा व भंवरलाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज माली का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1986 पूरे कौरम के हस्ताक्षरों से जारी किया हुआ। अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी गलत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी प्रकार का धोखा अथवा तथ्यों को छुपाकर आवेदन नहीं किया गया है, जिससे तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाये जाने का आरोप मिथ्या है। आवंटी किशनगोपाल उक्त आवंटित भूमि खसरा संख्या 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा पर आवंटन के समय से निरंतर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है और आवंटन शर्तो का पालन करने एवं कब्जे काश्त होने से अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी प्रदान की गई है। उक्त भूमि पर कथित छीतर आ. मडा एवं भंवरलाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज कौम माली निवासी उलेडा का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त झूंठी कार्यवाही के आधार पर अप्रार्थी को बेदखल करवाकर कथाकथित छीतर व भंवरलाल अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। छीतर व भंवरलाल के द्वारा आवंटन निरस्ती हेतु पहले इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 168/2017 पेश किया गया था, जो बाद में उनके उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। तहसीलदार साहब बून्दी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 में भी खसरा सं. 758 रकबा 2.09 बीघा वाकेग्राम उलेडा पर अप्रार्थी किशन गोपाल आ. छोटूलाल माली वर्ष 2017 से अभी वर्तमान तक काश्त करता आ रहा है, अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी का आवंटन काफी पुराना हो चुका है तथा आवंटी वर्तमान में उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जे काश्त चला आ रहा है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार बताते हुये इसे खारिज किये जाने एवं आवंटन बहाल रखा जाकर अप्रार्थीगण को खातेदारी प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि किशन गोपाल पुत्र छोटूलाल माली निवासी ग्राम उलेडा को मिसल सं.627/86 पर दिनांक 30.09.1986 को भूमि खसरा सं. 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा सं. 748 रकबा 1 बीघा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम उलेड़ा का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से भूमि खसरा सं. 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण भिजवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार आवंटित भूमि सहित किता 6 कुल रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा पर आवंटी किशन गोपाल गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा "आवंटित भूमि खसरा सं.758 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर छीतर पिता मडा व भंवरलाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज कौम माली निवासी उलेडा का कब्जा काश्त होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का उलेडा एवं सरपंच ग्राम पंचायत उलेडा एवं ग्रामवासियान अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना अंकित है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 09.04.2019 को इस न्यायालय में जवाब पेश किया गया, जिसमें अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु इस जवाब के साथ अप्रार्थी द्वारा न तो स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया और न ही ऐसे दस्तावेज पेश किये गये जिससे उक्त आंवटित भूमि पर अप्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त होना साबित हो सके। आवंटन नियम के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी किशन गोपाल पुत्र छोटूलाल जाति माली निवासी ग्राम उलेडा को किया गया आवंटन भूमि खसरा सं. 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम उलेडा दिनांक 30.06.1986 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि खसरा सं. 758 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर; बून्दी